Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

सं. सी-55/2011-एमपीलैड्स Dated **14.10.2015**

सेवा में,

सभी नोडल सचिव,

विषयः एकीकृत एमपीलैड्स पोर्टल का पूर्ण रूप से चालू होना ।

महोदय,

कृपया इस मंत्रालय द्वारा फरवरी और मई, 2014 तथा जनवरी, फरवरी और जून माह, 2015 में जारी किए गए समसंख्यक पत्रों का संदर्भ लें जो एकीकृत एमपीलैड्स वेबसाइट के पूर्ण रूप से चालू होने के संबंध में थे । दिनांक 23.02.2015 को आयोजित 18वीं छमाही पुनरीक्षा बैठक में एमपीलैड्स के राज्य नोडल सचिवों से भी एमपीलैड स्कीम से संबंधित सभी गतिविधियों की प्रभावी मॉनीटरिंग और यथासमय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से नई विकसित एकीकृत एमपीलैड वेबसाइट का प्रयोग शुरू करने के लिए सभी संबंधित राज्य/जिला अधिकारियों को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था ।

2. तथापि, यह पाया गया है कि आपके राज्य में केवल कुछ जिला प्राधिकारियों ने ही एकीकृत एमपीलैड पोर्टल का प्रयोग करना शुरू किया है ।

3. इस पोर्टल के कार्यकलापों/विशेषताओं से परिचित करवाने के लिए इस मंत्रालय ने राज्य नोडल विभागों द्वारा नामित राज्य/जिले के उपयुक्त व्यक्तियों को वर्ष 2014 और 2015 के दौरान विभिन्न चरणों में पहले ही प्रशिक्षण प्रदान कर दिया है ।

4. सभी स्टेकहोल्डरों के लिए प्रयोगकर्ता पुस्तिकाएं और जिला कार्य प्रवाह दिशानिर्देश यूआरएल '164.100.129.134/mplads', लाइव सर्वर पर उपलब्ध हैं । अभ्यास के उद्देश्य से एक जांच सर्वर, यूआरएल '164.100.42.68/mplads' भी उपलब्ध करवाया गया है ।

5. निकट भविष्य में यह मंत्रालय माननीय सांसदों को भी इस एकीकृत पोर्टल के माध्यम से सिफारिशें करने की सुविधा उपलब्ध करवाएगा । इस पोर्टल के माध्यम से माननीय सांसद जिला प्राधिकारियों द्वारा किए जा रहे अपने एमपीलैड्स कार्यों की वास्तविक समय आधार पर स्थिति को भी

देख सकते हैं । माननीय सांसदों को पोर्टल की सुविधा उपलब्ध होने पर वह संबंधित जिला प्राधिकारियों के साथ संवाद स्थापित करने में समर्थ हो सकेंगे ।

6. अतः यह फिर दोहराया जाता है कि सभी संबंधित राज्य/जिला अधिकारियों को तत्काल या एक पखवाड़े के भीतर एकीकृत एमपीलैड पोर्टल का पूर्ण रूप से उपयोग करने और समयबद्ध ढंग से कुशलतापूर्वक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने संबंधी आवश्यक अनुदेश कृपया जारी किए जाएं ।

भवदीय,

तपन मित्र

(तपन मित्र)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः

1. आयुक्त, चेन्नई/दिल्ली/कोलकाता नगर नियम
2. सभी जिला कलैक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त